



2026:AHC:43696-DB

ए.एफ.आर.

निर्णय आरक्षित दिनांक : 19.02.2026

निर्णय प्रदत्त दिनांक : 26.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 3822 वर्ष 2026

कीर्ति वर्मा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : व्यक्तिगत रूप से

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव द्वारा प्रदत्त

1. याचिकाकर्ता ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।
2. याचिकाकर्ता कीर्ति वर्मा, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई हैं, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख और याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत वाद विधि का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता कीर्ति वर्मा, थाना रानी की सराय, आजमगढ़ में दर्ज वाद अपराध संख्या- 320 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 70(1), 352, 351(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के मामले में परिवादी/पीड़िता है।

4. याचिकाकर्ता, जो यहाँ पीड़िता है, ने विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. न्यायालय संख्या- 01, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2026 के अनुसरण में पीड़िता/याचिकाकर्ता का बयान पुनः धारा 183 बी.एन.एस.एस., 2023 के तहत दर्ज करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने और कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसे न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और उपयुक्त समझे।

5. याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह याचिका आदेश दिनांक 13.01.2026 द्वारा दी गई स्वतंत्रता के कड़ाई से अनुपालन में और उसके अनुसरण में दायर की जा रही है तथा यह केवल विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंगित प्रक्रियात्मक पहलू तक ही सीमित है और याचिकाकर्ता मामले के गुण-दोष पर निर्णय की मांग नहीं कर रही है, न ही कोई तथ्यात्मक विवाद उठा रही है। याचिकाकर्ता आगे प्रस्तुत करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसका बयान सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है और धारा 183 बी.एन.एस.एस. के स्पष्ट प्रावधानों का घोर उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत उसका बयान पुनः दर्ज करने के लिए इस न्यायालय के निर्देशों की आवश्यकता है।

6. विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. न्यायालय संख्या- 01, आजमगढ़ ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान पुनः दर्ज करने के आवेदनों दिनांक 08.12.2025 और 09.01.2026 का निस्तारण करते हुए अपने आदेश दिनांक 13.01.2026 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की थीं:-

(क) धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान सामान्यतः केवल एक बार ही दर्ज किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ख) ऐसा बयान दोबारा दर्ज करने का कोई भी निर्देश केवल माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जारी किया जा सकता है।

(ग) जब तक प्रक्रियात्मक कथन स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक इस मामले में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा।

7. इस स्तर पर, बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के प्रावधानों का संदर्भ लेना प्रासंगिक है।

"183. (1) उस जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट जिसमें किसी अपराध के कारित होने की सूचना पंजीकृत की गई है, चाहे उस मामले में उसका क्षेत्राधिकार हो या न हो, इस अध्याय के तहत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत विवेचना के दौरान या उसके बाद किसी भी समय किंतु जांच या विचारण शुरू होने से पहले उसके समक्ष की गई किसी भी संस्वीकृति या बयान को दर्ज कर सकता है:

परंतु इस उपधारा के तहत की गई कोई भी संस्वीकृति या बयान अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है:

परंतु यह और कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई संस्वीकृति दर्ज नहीं की जाएगी, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई हो।

(2) मजिस्ट्रेट ऐसी कोई भी संस्वीकृति दर्ज करने से पहले, उसे करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट करेगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसे उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है; और मजिस्ट्रेट ऐसी कोई संस्वीकृति तब तक दर्ज नहीं करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि यह स्वेच्छा से की जा रही है।

(3) यदि संस्वीकृति दर्ज होने से पहले किसी भी समय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने को अधिकृत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) ऐसी कोई भी संस्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा दर्ज करने के लिए धारा 316 में प्रदान किए गए तरीके से दर्ज की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी; और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेखन के अंत में निम्नलिखित प्रभाव का एक जापन बनाएगा:-

"मैंने (नाम) को स्पष्ट कर दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो उसके द्वारा की गई कोई भी संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है और मेरा विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई थी। यह मेरी उपस्थिति और श्रवणता में ली गई थी, और इसे करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया और उसने इसे सही स्वीकार किया, और इसमें उसके द्वारा दिए गए बयान का पूर्ण और सच्चा विवरण शामिल है।

हस्ताक्षर) ए. बी.

मजिस्ट्रेट"

(5) उपधारा (1) के तहत दिया गया कोई भी बयान (संस्वीकृति के अलावा) ऐसे तरीके से दर्ज किया जाएगा जो इसके बाद साक्ष्य दर्ज करने के लिए प्रदान किया गया है और जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हो; और मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका बयान इस प्रकार दर्ज किया गया है।

(6) (क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के तहत दंडनीय मामलों में, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का बयान जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध कारित किया गया है, उपधारा (5) में निर्दिष्ट तरीके से दर्ज करेगा, जैसे ही अपराध का कारित होना पुलिस के संज्ञान में लाया जाता है:

परंतु ऐसा बयान, जहाँ तक व्यावहारिक हो, किसी महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में किसी पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा किसी महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परंतु यह और कि दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों में, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्षी का बयान दर्ज करेगा:

परंतु यह भी कि यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने में किसी दुभाषिए या किसी विशेष शिक्षक की सहायता लेगा:

परंतु यह भी कि यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों, अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से दर्ज किया जाएगा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति का, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, धारा (क) के तहत दर्ज किया गया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 142 में निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के रूप में एक बयान माना जाएगा, ताकि विचारण के समय उसे दोबारा दर्ज करने की आवश्यकता के बिना, बयान देने वाले से ऐसे बयान पर प्रतिपरीक्षा की जा सके।

(7) इस धारा के तहत संस्वीकृति या बयान दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट इसे उस मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है।"

8. इसके अलावा, बी.एन.एस.एस. की धारा 176 पुलिस विवेचना के दौरान बयानों के वैकल्पिक ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित है, जिसमें पुलिस को दिया गया कोई भी बयान शामिल है, और बलात्कार/यौन अपराध के मामलों में पीड़ित के बयान अधिमानतः उनके निवास या पसंद के स्थान पर एक महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए और ऑडियो-वीडियो साधनों का उपयोग किया जा सकता है।

9. बी.एन.एस.एस. की धारा 183 सीआर.पी.सी. की धारा 164 के समरूप है और यह स्वेच्छा के लिए सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाती है। संस्वीकृति सहित बयानों को लिखित रूप में या

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों, अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। कुछ संवेदनशील मामलों में, उदाहरण के लिए बलात्कार पीड़ितों या दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक या अत्यधिक वरीयाप्राप्त है और लागू होने पर अक्सर एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

10. बी.एन.एस.एस. की धारा 183 का प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक विवेचना के दौरान या उसके बाद विचारण या जांच शुरू होने से पहले संस्वीकृति (अभियुक्त द्वारा) और बयान (साक्षियों या पीड़ितों द्वारा) दर्ज करने के लिए एक सुरक्षित, स्वैच्छिक और न्यायिक रूप से पर्यवेक्षित तंत्र प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि ये बयान या संस्वीकृति स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के दिए गए हैं, और यह बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज सामान्य पुलिस बयानों की तुलना में उच्च विश्वसनीयता और साक्ष्यिक मूल्य रखता है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 20(3) और उचित प्रक्रिया के लिए अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक अधिकारों को निर्देशित करते हैं, बी.एन.एस.एस. की धारा 183 का मुख्य उद्देश्य पुलिसिया दबाव या प्रताड़ना को रोकना है और पुलिस अधिकारी संस्वीकृति दर्ज नहीं कर सकते, भले ही उन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्यों न प्रदान की गई हों। केवल एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ही बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत बयान दर्ज कर सकता है, जिससे जबरन या प्रेरित संस्वीकृति का जोखिम कम हो जाता है, परंतु मजिस्ट्रेट को बयान देने वाले व्यक्ति की ओर से स्वेच्छा सुनिश्चित करनी होगी। मजिस्ट्रेट संस्वीकृति या बयान देने वाले व्यक्ति को स्पष्ट करेगा कि वह संस्वीकृति या बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और उसे बयान दर्ज करने से पहले चेतावनी देनी होगी कि इसका उपयोग उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

11. संक्षेप में, बीएनएसएस की धारा 183 पुलिस विवेचना और विचारण के साक्ष्यों के बीच एक न्यायिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है, जिससे सत्य की खोज में सहायता के लिए शक्तियों के दुरुपयोग से रक्षा करते हुए एक संरक्षित, सत्यापन योग्य तरीके से महत्वपूर्ण बयानों/संस्वीकृतियों को सहेजा जा सके। यह व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के साथ प्रभावी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन को संतुलित करता है, जिसमें बीएनएसएस पुराने सीआरपीसी के ढांचे की तुलना में डिजिटल और पीड़ित-केंद्रित सुधार जोड़ता है।

12. यह प्रावधान एक मानक प्रक्रिया के रूप में इस धारा के तहत "दूसरे" या बार-बार दिए जाने वाले बयानों की परिकल्पना या प्राधिकार नहीं देता है। इसका उद्देश्य साक्ष्य मूल्य के साथ एक बार विश्वसनीय, स्वैच्छिक बयान/संस्वीकृति दर्ज करना है (उदाहरण के लिए, इस धारा के तहत बयानों का उपयोग विचारण की गवाही की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है, और संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो ठोस साक्ष्य हो सकती है)। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत एक ही व्यक्ति के बयान को कई बार अभिलिखित करने का कोई वैधानिक अधिदेश नहीं है। विवेचना के दौरान आवश्यकता पड़ने पर बीएनएसएस की धारा 180 (पुरानी सीआरपीसी की धारा 161) के तहत पुलिस बयान कई बार दर्ज किए जा सकते हैं, परंतु बीएनएसएस की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अपवादात्मक होते हैं और इनका उद्देश्य उच्च विश्वसनीयता के साथ साक्ष्य को सुरक्षित रखना होता है।

13. उच्च न्यायालयों के पास प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने, या गंभीर त्रुटियों को सुधारने के लिए आपराधिक कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226/227 और बीएनएसएस की धारा 528 (पुरानी सीआरपीसी की धारा 482) के तहत पर्यवेक्षी शक्तियां हैं। असाधारण मामलों में—जैसे जहाँ धारा 183 के तहत पहले दिए गए बयान के संबंध में यह आरोप हो कि वह डरा-धमका कर लिया गया था, स्वैच्छिक नहीं था, अनुचित रूप से दर्ज किया गया था, या जहाँ निष्पक्षता पुनः दर्ज करने की मांग करती है (जैसे, नए महत्वपूर्ण तथ्य, साक्षी का मुकर जाना, या गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ) और उच्च न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के भाग के रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष नए सिरे से बयान दर्ज करने का निर्देश दे सकता है, परंतु यह कोई नियमित निर्देश नहीं है। उच्च न्यायालय पुनः दर्ज करने का निर्देश दे सकता है यदि मूल बयान की सत्यनिष्ठा गंभीर रूप से प्रभावित हुई हो, विशेष रूप से पीड़ितों से जुड़े संवेदनशील मामलों में (जैसे, यौन अपराध, पॉक्सो), जहाँ बयान विचारण में पुष्टि/खंडन के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। हालांकि हर आरोप सफल नहीं होगा, परंतु पढ़कर न सुनाए जाने (जो कि एक मुख्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय है) का एक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विश्वसनीय दावा निष्पक्षता बनाए रखने और दुरुपयोग को रोकने के लिए बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दूसरा बयान देने का आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को ठोस आधार प्रदान करता है। परिणाम मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और न्यायिक विवेक पर निर्भर करते हैं।

14. विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 13.01.2026 में यह टिप्पणी की है कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान पुनः दर्ज करने का कोई भी निर्देश केवल माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जारी किया जा सकता है, परंतु यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय उसी व्यक्ति से एक नियमित या विवेचनात्मक उपाय के रूप में दूसरा बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट को मजबूर करने के अर्थ में धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दूसरे या अतिरिक्त बयान को दर्ज करने का सीधे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने की शक्ति विवेकाधीन है और आमतौर पर यह तब शुरू होती है जब—(i) विवेचक उस व्यक्ति (साक्षी/पीड़ित या अभियुक्त) को पेश करता है और (ii) वह व्यक्ति स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के पास जाता है।

15. बी.एन.एस.एस. की धारा 183, पुरानी सीआरपीसी की धारा 164 की तरह, स्वेच्छा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ठोस सुरक्षा उपायों को शामिल करती है। मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को स्पष्ट करना होगा कि वह बयान या संस्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है और संस्वीकृति का उपयोग उसके विरुद्ध किया जा सकता है तथा प्रारंभिक पूछताछ के बाद मजिस्ट्रेट के पास स्वेच्छा के बारे में विश्वास करने का कारण होना चाहिए और दर्ज किए गए बयानों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए तथा उसे देने वाले व्यक्ति को स्पष्ट किया जाना चाहिए, इसके अलावा वह उस पर हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। जहाँ बयान देने वाला व्यक्ति इसे पढ़ने में असमर्थ है, जिससे इसकी शुद्धता की पुष्टि हो सके और विशेष रूप से यौन अपराधों के मामलों में, मजिस्ट्रेट ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का सहारा ले सकता है। यदि पीड़िता यह दावा करती है कि बयान उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था, तो यह इसकी स्वेच्छा और प्रामाणिकता तथा संभावित दबाव या गलतफहमी या लिपिकीय त्रुटि के संबंध में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किए जाने पर गंभीर सवाल उठाता है और ऐसे उल्लंघन, यदि पीड़िता के हलफनामे द्वारा प्रथम दृष्ट्या स्थापित होते हैं, तो हस्तक्षेप का कारण बन सकते हैं। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान पुनः दर्ज करने का निर्देश तब जारी किया जा सकता है जब मूल बयान की सत्यनिष्ठा गंभीर रूप से प्रभावित हो। हालांकि हर आरोप का सफल होना तय नहीं है, परंतु पीड़िता द्वारा बयान न पढ़े जाने का एक विश्वसनीय दावा निष्पक्षता को बढ़ावा देने और दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दूसरे बयान का आदेश देने के लिए हस्तक्षेप का एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

16. सामान्यतः धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दूसरे बयान के लिए कोई नियमित निर्देश नहीं दिया जा सकता है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा हो सकता है। उच्च न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, यदि अन्याय को ठीक करने के लिए न्यायसंगत हो, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दूसरा बयान दर्ज करने के निर्देश जारी कर सकता है, परंतु इसे एक सामान्य नियम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता जहाँ पीड़िता यह आरोप लगाती है कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज उसका बयान उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था या उसे इसकी शुद्धता की पुष्टि करने का अवसर नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान नए सिरे से दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है और यह शक्ति कोई नियमित या स्वचालित शक्ति नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को सुधारने के लिए किया जाता है जिससे न्याय का हनन हो सकता है।

17. **योगेंद्र यादव एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, (2014) 9 एससीसी 653** की वाद विधि वर्तमान रिट याचिका के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।

18. याचिकाकर्ता ने याचिका के समर्थन में अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), आजमगढ़ के न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान की प्रमाणित प्रति दाखिल की है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. बयान के परिशीलन से पता चलता है कि बयान पीड़िता के मौखिक कथन के आधार पर दर्ज किया गया था और बयान दर्ज होने के बाद पीड़ित/याचिकाकर्ता ने बयान पढ़ा था और यह भी नोट किया गया है कि पीड़िता ने बिना किसी दबाव के बयान दिया था। मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज पीड़ित/याचिकाकर्ता का बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी दबाव के बयान दिया था और बयान पढ़ा था तथा उसके बाद बयान पर हस्ताक्षर किए थे और सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.01.2026 द्वारा सही पाया है कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान सामान्यतः केवल एक बार ही दर्ज किया जाता है और ऐसा बयान दर्ज करने का कोई भी निर्देश केवल माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है। जिन शर्तों के तहत उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत उसका बयान पुनः दर्ज करने के निर्देश जारी कर सकता है, उन पर ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

20. दिए गए विश्लेषण के आलोक में, हमारी यह राय है कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान पुनः दर्ज करने की आवश्यकता वाली कोई असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं और इसलिए वर्तमान रिट याचिका में मेरिट का अभाव है और तदनुसार खारिज किए जाने योग्य है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

दिनांक : 26 फ़रवरी, 2026

ज़फ़र

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।